


बिहार सरकार  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री कामेश्वर पासवान, आपूर्ति निरीक्षक, नारायणपुर, भागलपुर को अनाधिकृत अनुपस्थिति, अभिलेखों का संघारण नहीं करने एवं बिहपुर एवं खरीक प्रखंड की आपूर्ति व्यवस्था का प्रभार नहीं देने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1)(क) के तहत विभागीय ज्ञापांक 4518 दिनांक 19.07.2012 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था जिन्हें दिनांक 31.08.2012 को सेवानिवृत्त होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।


2 निलंबन मुक्ति के उपरांत श्री पासवान जिला आपूर्ति कार्यालय, भागलपुर में योगदान करेंगे।

  
(सुरेश ठाकुर)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक प्र08 गो0 आ0 भागलपुर 37/2012 5231 खाद्य, पटना दिनांक-22/8/2012

प्रतिलिपि - जिला पदाधिकारी, भागलपुर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, भागलपुर/अनुमंडल पदाधिकारी, नवगछिया/प्रशाखा पदा- 03./श्री अफजल आजमी, आई0टी0 प्रबंधक, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री कामेश्वर पासवान, आपूर्ति निरीक्षक, नारायणपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। (निलंबन अवधि में जिला आपूर्ति कार्यालय, भागलपुर में मुख्यालय)।

  
22/8/2012

सरकार के संयुक्त सचिव।